# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा
## पीठासीन अधिकारी– श्री मुकेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

| प्रकरण सं0 – | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 85 / 2022 / वाद पत्र | 16.08.2022 | 07.02.2024 |

उनवान

दीपक कुमार पुत्र चन्द्र सिंह बिराणी निवासी शाहपुरा हाल निवासी पटेल नगर 6 ए 28 भीलवाड़ा

– वादियागण

बनाम

1– कालू लाल पिता छीतर तेली निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
2– गोपाललाल पिता छीतर तेली निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
3– श्रवणलाल पिता छीतर तेली निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
4– तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

**वाद पत्र : बाबत स्थायी निषेधाज्ञा कब्जेयाबी**

उपस्थितः– श्री गोविन्द सिंह हाड़ा – अधिवक्ता वादी

**निर्णय**

उनवानी मामले में वाद पत्र बाबत कब्जेयाबी आराजी न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है – वादी के खाते व कब्जे की आराजियात आराजी नम्बर 1165 रकबा 0.49 है0, 1166 रकबा 1.00 है0 किता 2 रकबा 1.49 है0 ग्राम रघुराजपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा में स्थित है। वादी ने अपने खाते की आराजियात की पत्थरगढी दिनांक 18.06.2020 को करवायी तब वादी को ज्ञात हुआ कि वादी के खाते की आराजियात सं. 1165 रकबा 0.49 है0 पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। प्रतिवादीगण का वादी की आराजियात से कोई लेना देना नहीं है न उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगण किसी प्रका का कोई हक व अधिकार रखते है इस कारण प्रतिवादीगण से वादी अपनी आराजियात का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है व सुविधा सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है यदि आराजी सं0 1165 से प्रतिवादीगण को बेदखल नहीं किया गया तो वादी को अपूर्तिनीय मानसिक व आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ेगा। अतः निवेदन है कि आराजी सं0 1165 रकबा 0.49 है0 का कब्जा प्रतिवादीगण से वादी को दिलवाये जाने की डिक्री प्रदान करायी जावे। दौरान वादपत्र प्रतिवादीगण कब्जे सदा आराजियात को खुर्द बुर्द न करें इस कारण उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस के तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 18.10.2022 को बावजूद सूचना प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए जिनके विरूद्ध दिनांक 04.01.2023 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 10.04.2023 को वादी स्वयं द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 07.02.2024 को प्रकरण में अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी। अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादीगणों की खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1165 रकबा 0.49 है0,

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

1166 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 रकबा 1.49 है0 ग्राम रघुराजपुरा में स्थित है। वादीगणों द्वारा अपनी उक्त आराजियात की दिनांक 18.06.2020 को पत्थरगढी करवाये जाने पर ज्ञात हुआ कि वादी की भूमि आराजी नम्बर 1165 रकबा 0.49 है0 पर प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 03 का कब्जा पाया गया। अतः वादीगण की भूमि से प्रतिवादी को बेदखल करा कब्जा वादीगण को सिपुर्द किये जाने का आदेश बक्षावें।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड ग्राम रघुराजपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 106 में आराजी सं0 1165 रकबा 0.49 है0, 1166 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 रकबा 01.49 है0 वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रस्तुत मौका पर्चा पत्थरगढी दिनांक 18.06.2020 अनुसार अराजी नम्बर 1165 रकबा 0.49 है0 पर प्रतिवादीगण कालु लाल, गोपाल, श्रवणलाल पिता छीतर तेली का कब्जा काश्त होना पाया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 के सिद्ध होने से वाद स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

**–:: आदेश ::–**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रघुराजपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित अराजी नम्बर 1165 रकबा 0.49 है0 का पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादी सं0 01 लगायत 03 से कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज)

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)**

बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

दीपक कुमार पुत्र चन्द्र सिंह बिराणी निवासी शाहपुरा हाल निवासी पटेल नगर 6 ए 28 भीलवाड़ा

– वादियागण

**बनाम**

1– कालू लाल पिता छीतर तेली निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
2– गोपाललाल पिता छीतर तेली निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
3– श्रवणलाल पिता छीतर तेली निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
4– तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : **बाबत स्थायी निषेधाज्ञा कब्जेयाबी**

**मुकदमा नम्बर 82 सन् 2022 राजस्व वाद**

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ..................X ............................... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम रघुराजपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित अराजी नम्बर 1165 रकबा 0.49 है0 का पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादी सं0 01 लगायत 03 से कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 07 माह 02 सन् 2024 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज )